



एक अध्ययन में पता लगा है कि, वन्यजीव अभयारण्य उष्णकटिबंधीय जीवों को हानिकारक मानवीय गतिविधियों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, इन क्षेत्रों में जैगुआर, माउन्टेन गोरिल्ला और सुंडा पैंगोलिन जैसे स्तनपायी जीव इंसानी गतिविधियों से प्रभावित पाए गए हैं। यह स्थिति तब है, जबकि ये जीव नेचर रिजर्व में बहुत अंदर रहते हैं। नॉर्वेजियन युनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज, राइस युनिवर्सिटी एवं वाखिंगन युनिवर्सिटी एण्ड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने बताया कि, संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों को वनों की कटाई के प्रभाव का सामना करना पड़ता है। मुख्य शोधलेखक असुन्सियॉन सैम्पर -पस्क़ुअल ने कहा, "संरक्षित वन के अंदर रहने का अर्थ यह नहीं है कि, ट्रॉपिकल जानवर इंसानी गतिविधियों के प्रभाव से अपने आप ही सुरक्षित हैं। हमारे पास प्रमाण है कि, संरक्षित क्षेत्र के अंदर और बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जानवर उससे प्रभावित हो रहे हैं।" वृहद एवं लम्बे समय तक चले कैमरा ट्रैप वाइल्डलाइफ सर्वेक्षणों से प्राप्त तस्वीरों का शोधकर्ताओं ने अध्ययन कर यह पता लगाया कि, मानव गतिविधियों का, ट्रॉपिकल क्षेत्रों के 16 संरक्षित वनों में स्तनपायी जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ा है। संरक्षित वन, जहाँ कैमरा ट्रैप लगाए गए उनमें अफ्रीका का, चित्र में नजर आ रहा, बविन्डी इमरैनिटैबल नैशनल पार्क, साउथ अमेरिका का जसुनी नैशनल पार्क और दक्षिण पूर्व एशिया का पजा फॉरेस्ट रिजर्व प्रमुख हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि, जंगलों की कटाई के कारण हुए वनों के विखंडन का कुछ जानवरों पर खासतौर पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, पर कुछ प्रजातियाँ, जो खास तरह के आवास में ही रहती हैं, वे वनों के विखंडन के कारण पनपी भी हैं। पस्क़ुअल ने कहा, "जिस तरह से नए-नए संरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, हमें बहुत ध्यान से यह सोचने की जरूरत है कि, संरक्षित क्षेत्रों के अंदर व बाहर कौन से ऐसे कारक हैं जो बायोडायवर्सिटी को प्रभावित कर रहे हैं।"

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जोशी विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल

जयपुर, 12 जुलाई (का.सं.)। शुरुवार 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सुबह 11 बजे विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, जहां प्रदेश की कांग्रेस

■ यह बैठक 14 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के संदर्भ में बुलाई गई है।

सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी दोपहर 1 बजे सैकर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैकरी को मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।

‘चित्त में...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गई थी। लोकसभा के चुनाव परिणामों से भाजपा को कोई खास लेना-देना नहीं है क्योंकि वह वाय.एस.आर.सी.पी. के समर्थन के विषय में आश्वस्त है। अगर तेलुगू देशम जीतती है तो सत्तारूढ़ भाजपा को सीधा लाभ होगा। दरअसल, इस बार भाजपा हिन्दी भाषी क्षेत्र, महाराष्ट्र एवं बिहार में अपने प्रतिकूल स्थिति मानकर चल रही है। पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से पंचायत चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई है, उसे देखते हुये, वहाँ भी भाजपा के लिए 2019 के अपने प्रदर्शन को दोहरा पाना मुश्किल हो सकता है।

ममता बनर्जी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) वाले राजनैतिक गुटों ने जो हिंसा की राजनीति आरंभ की थी उसे ममता और ऊंचे स्तर तक ले गई है। अगर ये चुनाव केन्द्रीय सुरक्षा बलों या सेना के नियंत्रण में होते तो तस्वीर अलग हो सकती थी। बंगाल में विपक्ष के नेता ने कहा था कि भाजपा जंगल महल और आसपास के क्षेत्रों में नहीं जीती क्योंकि यहाँ मतदान में भारी फर्जीबाड़ा हुआ और आम आदमी को तो वोट डालने ही नहीं दिया गया।

सोनिया गांधी भी विपक्ष...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उनके साथ एक ही मंच पर नजर आएंगी। ममता की तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में भाजपा को हराकर बाजी मार ली और वाय-कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। सूत्रों का यह भी कहना है कि सोमवार की बैठक में आठ नई पार्टियाँ शामिल होंगी। इन 24 विपक्षी पार्टियों के पास इस समय 150 सांसद हैं और वे अपना आधार बढ़ाने के प्रयास में हैं।

इनमें शामिल है- मारुमालास्वी द्रविड़ मुन्नेत्र कषमण (एम.डी.एम.के.), कॉंगू देसा ममकल काची (के.डी.एम.के.), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आई.यू.एम.एल.), केरल कांग्रेस (जोसेफ) और केरल कांग्रेस (मणि)। के.डी.एम.के. और एम.डी.एम.के. 2014 के चुनाव में भाजपा के साथ थीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए सूत्रों ने कहा कि बैठक में तीन कार्य समूह विपक्षी गठबंधन का बाँचा और नाम तैयार करेंगे और एक साझा एजेंडा, राज्य स्तरीय

भारतीय चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चुनावी गड़बड़ियों एवं आरोपों का मुद्दा उठाया

कोलंबिया में आयोजित इस बैठक में 119 देशों के चुनाव आयोगों ने भारत की बात का समर्थन किया और कहा, "हम भी इस दंश का शिकार हैं तथा लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पर लांछन लगाने का बढ़ता रवैया चिंता का विषय है"

कोलंबिया/नई दिल्ली, 12 जुलाई। चुनावी नतीजों के आने के बाद चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोगों के खिलाफ जिस तरह से झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाने का ट्रेंड बढ़ा है,उससे अकेले भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी प्रमुख लोकतांत्रिक देशों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं।

भारत के चुनाव आयोग ने वैश्विक स्तर पर यह मुद्दा ऐसे समय पर उठाया है, जब अमेरिका, ब्राजील और हाल ही में तुर्की के चुनाव में गड़बड़ियों का मुद्दा काफी गरम रहा है। खासकर इससे चुनावी विश्वसनीयता के प्रभावित होने का बड़ा खतरा है। भारत निर्वाचन आयोग ने फिलहाल इस दिशा में उठाए गए अहम कदमों के साथ ही अहम दुनिया के दूसरे देशों को भी इस खतरों को लेकर सतर्क किया है।

राहुल गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर

नयी दिल्ली, 12 जुलाई (वार्ता)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी ने उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दायर की है। मोदी की मानहानि की शिकायत के बाद अदालत ने गांधी को दोषी ठहराया था। इसकी वजह से कांग्रेसी नेता की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। गांधी ने निचली अदालत के फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। वायनाड लोकसभा के पूर्व सांसद गांधी उच्च न्यायालय के 7 जुलाई के फैसले को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इसी के भेदनजर भाजपा विधायक ने

■ गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कैविएट दायर की है।

शीर्ष अदालत में कैविएट दायर कर गुहार लगाई है कि यदि गांधी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हैं तो सुनवाई करते समय उनका (शिकायत करने वाले) पक्ष भी सुना जाए।

गौरतलब है कि मानहानि का यह मामला 2019 का है। इस मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गांधी को मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराया था।

सार्थ ही कहा है कि ऐसे खतरों से निपटने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। बाद में जिसका काफी देशों ने समर्थन भी किया है। कोलंबिया में चल रही एसोसिएशन आफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वैब) के कार्यकारी बोर्ड की 11 वीं बैठक में इस मुद्दे को दुनिया के कई देशों ने प्रमुखता से रखा और अपनी चिंताएं जताईं। इस संगठन के मौजूदा समय में दुनिया के करीब 119 देशों के चुनावी प्रबंधन निकाय इसके सदस्य हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग भी इस बैठक में शामिल है। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनावी विश्वसनीयता का संकट इस समय पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। खासकर जिस तरह चुनाव के दौरान या बाद में आयोग

मोदी आज फ्रांस और यू.ए.ई की यात्रा पर रवाना होंगे

नयी दिल्ली, 12 जुलाई (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की तीन दिन की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे और इस दौरान वह पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस की परेड में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। फ्रांस यात्रा के दौरान भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी नयी ऊंचाई पर ले जाने के वास्ते लड़ाकू विमानों के इंजन के सहनिर्माण सहित कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। विदेश सचिव विनय कवात्रा ने बुधवार को यहां संवाददाताओं को प्रधायनमंत्री की यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी गुरुवार सुबह यात्रा पर रवाना होंगे और इस यात्रा के पहले लंदन में अपराह्न साढ़े 12 बजे (भारतीय समयानुसार चार बजे) पेरिस पहुंचेंगे। वह सबसे पहले फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष और फिर उस देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे।

भाजपा नेता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुलदीप और उसके साथी विजयपाल पर उस समय हमला किया गया जब उन्हें जयपुर से भरतपुर कोर्ट में पेश करने के लिए रोडवेज बस में ले जाया जा रहा था।

आरोपी कुलदीप जघीना और विजय पाल को हथियारबंद चालानी गार्डों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रोडवेज की बस से भरतपुर लाया जा रहा था, लेकिन टोल प्लाजा पर बस के अंदर घुसे बदमाशों ने चालानी गार्ड्स की आंखों के मिर्च पाउडर झोंककर करीब 15 राउंड फायर कर कुलदीप की हत्या कर दी। उस गोलियोंबारी में बस में सवार दो अन्य यात्री भी घायल हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अज्ञात बदमाश 3 बाइको व दो कारों में सवार थे। देर शाम तक चार आरोपी विष्णु, सौरभ, धर्मराज और बबलू को हिरासत में लिया गया। भरतपुर में 10 महीने पहले 4 सितंबर 2022 को बीजेपी नेता कुपाल जघीना की हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक, हत्या जमीन उप प्रोपर्टी विवाद के चलते की गई थी। एसपी मुद्दुल कच्छवा ने बताया कि आमोली टोल प्लाजा पर 7 से 8 बदमाशों ने बस के आगे गाड़ी लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए घटना को अंजाम दिया। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई।

ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेताओं ने दखल देकर इसे बंदने से रोका क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड्गे से आमने-सामने हो गए थे। यह बैठक 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र से दो दिन पहले होगी जहां विपक्ष और भाजपा आमने-सामने होंगे।

मध्यप्रदेश में “नो सी.एम. फेस चेंज” पॉलिसी पर मुहर लगाई अमित शाह ने

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार रात को भोपाल में एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि, मुख्यमंत्री चेहरा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दोनों ही नहीं बदले जायेंगे

भोपाल, 12 जुलाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई थीं। इसे देखते हुए यह अनुमान लगाया गया कि चुनाव से पहले राज्य में बड़े बदलाव हो सकते हैं, खास तौर से जहां भाजपा की स्थिति कुछ कमजोर मानी जा रही है। इन कयासों के बीच मंगलवार रात को भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की। मीटिंग में शाह ने साफ कर दिया कि न तो मुख्यमंत्री चेहरा और न ही बीजेपी चीफ बदला जाएगा। कहा जा रहा है कि शाह अचानक ही मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे। सोमवार तक मुख्यमंत्री समेत चुनावी राज्य के शीर्ष नेताओं को भी उनके आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

अमित शाह की बैठक में शामिल हुए कई नेता मध्य प्रदेश बीजेपी के अलग-अलग शक्ति केंद्र माने जाते हैं। हालांकि, मीटिंग के दौरान शाह ने सरल

■ जैसा कि विदित है कि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई थीं। इसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि, चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

संदेश दिया कि पार्टी को यूनिट के रूप में आक्रामक तरीके से लड़ना होगा। साथ ही चुनाव की तैयारी में उनकी भागीदारी की समीक्षा दैनिक आधार पर की जाएगी। बैठक में मौजूद बीजेपी नेता ने बताया, अमित भाई ने साफ शब्दों में कहा कि सीएम चेहरा और प्रदेश अध्यक्ष ही रहेंगे। सभी को इसका पालन करने की भी कहा गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, शाह ने शिकायत की कि राज्य में नेतृत्व को लेकर यहां बैठे लोग अलग-अलग आवाज में बोल रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश इकाई के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि इसे अभी रोकने की जरूरत है। शाह इस बात से

भी नाबुख बताए गए कि भाजपा अपने अभियान में आक्रामक नहीं है। उन्होंने विजय संकल्प अभियान की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। राज्य में चुनाव से पहले भाजपा की ओर से की जाने वाली इसे बड़ी पहल माना जा रहा है। शाह ने मध्य प्रदेश यूनिट से इस कार्यक्रम पर फोकस करने को कहा है। वह इसे अभी बढ़ाने के लिए जुलाई के आखिर में राज्य में वापस आ सकते हैं।

भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले शाह ने चुनाव की तैयारियों के गहन समीक्षा करने के बाद मध्य प्रदेश

से विजय संकल्प अभियान शुरू करने की घोषणा की है। शाह ने बैठक में मध्य प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की और चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। शर्मा ने कहा कि उन्होंने चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लिया और विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया। बैठक में मध्य प्रदेश के लिए भाजपा प्रभारी नियुक्त किए गए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव व उनके कैबिनेट सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव शिव प्रकाश और मप्र-छत्तीसगढ़ प्रभारी अजय जम्वाल भी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, सिंधिया, तोमर, पटेल और राज्य कैबिनेट मंत्रियों ने हवाई अड्डे पर शाह का स्वागत किया। बैठक के बाद शाह पार्टी कार्यालय से हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए।

एकल पट्टा प्रकरण से सी.बी.आई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अनुमति दे दी है। जस्टिस बिन्टू कुमार की एकलपट्टा ने यह आदेश रामशरण सिंह की याचिका में उनके पुत्र सुरेंद्र सिंह की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को लेकर वाचिका दायर कर सकते हैं।

वहीं अशोक पाठक की ओर से अधिवक्ता संदीप खंडेलवाल ने कहा कि मामले में मिलीभगत से ऐसा किया जा रहा है। रामशरण सिंह ने मुकदमे के लिए सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लडाई लडी है। वहीं भ्रष्टाचार का अपराध समाज के प्रति होता है। यह संपत्ति को लेकर कोई वाद नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के बेटे को केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा मामले में सीबीआई की अपना जवाब पेश कर चुकी है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका वापस लेने का प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया।

मामले के अनुसार एसीबी ने वर्ष 2014 में परिवारी रामशरण सिंह हे गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली की शिकायत को लेकर मामला दर्ज किया था। एसीबी ने मामले में कंपनी के

चाहता। इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराने के संबंध में पूर्व में दायर इस याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

वहीं अशोक पाठक की ओर से अधिवक्ता संदीप खंडेलवाल ने कहा कि मामले में मिलीभगत से ऐसा किया जा रहा है। रामशरण सिंह ने मुकदमे के लिए सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लडाई लडी है। वहीं भ्रष्टाचार का अपराध समाज के प्रति होता है। यह संपत्ति को लेकर कोई वाद नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के बेटे को केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा मामले में सीबीआई की अपना जवाब पेश कर चुकी है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका वापस लेने का प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया।

मामले के अनुसार एसीबी ने वर्ष 2014 में परिवारी रामशरण सिंह हे गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली की शिकायत को लेकर मामला दर्ज किया था। एसीबी ने मामले में कंपनी के

प्रोपराइटर शैलेन्द्र गर्ग, यूडीएच के पूर्व सचिव जीएस संधू, जेडीए जेन-10 के तत्कालीन उपायुक्त ऑकारमल सैनी, निष्काम दिवाकर और गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों अनिल अग्रवाल व विजय मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट 15 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर एसीबी में दर्ज एफआईआर और निचली अदालत की कार्रवाई को शांति धारीवाल की हद तक रद्द कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने संधू सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को हरी झंडी दे दी थी।

‘डिजाइन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जायेगा। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के तहत ही चुनाव में उतरेगी। लेकिन अशोक गहलोत को यह बात कौन समझाये। उनके लिये तो दुनिया उन्हीं से शुरू और उन्हीं पर खत्म होती है। हो सकता है कि "डिजाइन बॉक्स" के काम को रोक देने तथा फिलहाल उसे जारी न रखने के लिये कहने के पीछे यही कारण रहा हो।

‘केन्द्र ने नौ सालों में विज्ञापनों पर 2,330 करोड़ रुपये लुटाये हैं’

युवा कांग्रेस के आर.टी.आई. विभाग के उपाध्यक्ष एडवोकेट आनंद मिश्रा ने "राइट टू इन्फॉर्मेशन" के तहत यह जानकारी उजागर की है

नयी दिल्ली, 12 जुलाई (वार्ता)। युवा कांग्रेस ने कहा है कि, मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्ष में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2330 करोड़ रुपए के विज्ञापन देकर अपने प्रचार प्रसार में ज़मकर सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया है।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी.बी. के नेतृत्व में गठित आरटीआई विभाग के उपाध्यक्ष एडवोकेट आनंद मिश्रा ने सूचना के अधिकार-आरटीआई के तहत यह जानकारी हासिल की है। मोदी सरकार ने इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक

एवं प्रिंट मीडिया को विज्ञापन देकर जमकर सरकारी पैसा लुटवाया है।

सूचना के अनुसार वर्ष 2022-23 में प्रिंट मीडिया में 103 करोड़ रुपए से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं और नौ साल में यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंचता है।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पिछले वित्त वर्ष में 48 करोड़ रुपए से ज्यादा के विज्ञापन टीवी न्यूज चैनलों को दिए गए जबकि नौ वर्षों का आंकड़ा 1330 करोड़ रुपए हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेट विज्ञापनों

एएसएमएस, डीसीएटी, डीएड और मिससेलिनियस एक्सपेंस के नाम पर 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए गए हैं।

श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि जहां एक तरफ सरकारी खजाने को विज्ञापनों पर लुटाया जा रहा है वहीं आम जनता महंगाई से त्रस्त है और जरूरत की हर वस्तु आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। हर चीज के भाव आसमान को छू रहे हैं। टमटार 250 रुपए किलो तक बिक रहा है लेकिन सरकार कुंभकरण की नींद सो रही है।

कांग्रेस ने वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग-पीएमएलए के दायरे में लाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि सरकार को बजाना चाहिए कि उसे यह कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ी।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीएसटी के साथ पीएमएलए को जोड़कर मोदी सरकार एक साथ दो निशाने साधना चाहती है।

गैर आर.ए.एस. से आई.ए.एस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) को दो सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने मामले में गैर आर.ए.एस. अधिकारी एसोसिएशन को मध्यस्थ बनने की अनुमति दे दी है। पहले यह एसोसिएशन मामले में पार्टी बना चाहती थी। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर को खंडपीठ ने राज्यस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की स्क्रॉनिंग कमेटी ने नाम तय करने की विशिष्ट परिस्थितियों के ब्यौरे सहित अमना जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय और मांगा। इस पर अदालत ने 31 जुलाई तक का समय देते हुए पूर्व में लगाई रोक को उस अवधि तक बढ़ा दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने याचिका में कहा है कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट व उसके नियम-विनियम के तहत उच्चस्तर के 6.67 प्रतिशत पद सीधी आई.ए.एस. भर्ती से और 33.33 प्रतिशत राज्य के प्रशासनिक अफसरों की पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। वहीं विशेष परिस्थिति में ही इसे 33.33 प्रतिशत को भी से ज्यादा से ज्यादा 15 प्रतिशत तक अन्य सेवा

के अफसरों से भरे जा सकते हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से हर साल ही अन्य सेवा के अफसरों को आई.ए.एस. पद पर प्रमोशन देने की परंपरा बना ली है। पूर्व में गैर आर.ए.एस. से पदोन्नत हुए आई.ए.एस. का पद खाली होने पर राज्य सरकार इस पद को गैर आर.ए.एस. को ही पदोन्नत कर भरती है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 17 फरवरी को सभी विभागों में पत्र भेजकर अन्य सेवाओं से आई.ए.एस. सेवा में पदोन्नति के लिए आवेदन मांगे और स्क्रॉनिंग कमेटी ने अन्य सेवा के अफसरों से ज्यादा 15 प्रतिशत तक अन्य सेवा

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने गैर आर.ए.एस. को आई.ए.एस. पद पर प्रमोट करने पर लगी रोक 31 जुलाई तक बढ़ा दी है और राज्य सरकार को तब तक जवाब पेश करने को कहा है।

यूपीएससी को अपनी सिफारिश भेज दी है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हर बार अन्य सेवा के अधिकारियों को आई.ए.एस. पद पर पदोन्नति देना नियमानुसार सही नहीं है, क्योंकि अपवादिक परिस्थितियों में ही ऐसा कर सकते हैं। अपवाद कभी भी नियमित भर्ती का तरीका नहीं हो सकता। राजस्थान सरकार ने खुद ही यह मान लिया है कि आई.ए.एस. पदोन्नति में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का भी एक कोटा है। जबकि यह सिर्फ अपवादिक परिस्थितियों में ही हो सकता है। राज्य सरकार नियमों के खिलाफ जाकर गैर आर.ए.एस. की पदोन्नति के लिए कोटा तय नहीं कर सकती। ऐसा करना ना केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि राज्य के प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए तय किए गए याचिका के पदों पर भी अतिक्रमण है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत 7 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित कर गैर आर.ए.एस. को आई.ए.एस. में पदोन्नत करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अदालत ने मामले में स्क्रॉनिंग कमेटी की ओर से नाम तय करने का ब्यौरा भी मांगा था।